



GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR

फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - <u>ro.raipur@ibm.gov.in</u>

फाइल संख्या - CHG/BLD/Fe-6

खान कोड 30MPR13004

दिनाक 23/09/2022

प्रेषिति- 🗸 1. श्री अनिर्बान दासगुप्ता, मनोनीत मालिक

2. श्री अरुण कुमार,, खान एजेंट मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई

जिला- दुर्ग (छ.ग.)-490001 विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद और राजनांदगांव जिले में स्थित आपकी महामाया और दुल्की लौह अयस्क खदान, 1522.67 हे॰ में खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 25/08/2022 को अधौहस्तक्षरी द्वारा श्री अरुण कुमार, खान एजेंट की उपस्तिथि मे किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नालिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नालाखत उपबंधा का उल्लंबन किया है।	
नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
34A	Digital aerial images of mining lease area.—(1) Every lessee having—
	(a) an annual excavation plan of one million tonne or more in a particular
	year; or
	(b) leased area of fifty hectare or more,
	shall carry out a drone survey of the leased area and upto hundred metres outside the lease boundary in the month of April or May every year and submit the processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images obtained from such survey or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard to the Controller General on or before 1st day of July every year. However it is observed that the Drone Survey is not carried out and data is not submitted to this office as per provision of rule 34A of MCDR 2017 and guidelines issued by IBM in this regard.

02. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास वियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1

03. खिनज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है1 04. अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ सहायक खान नियत्रंक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -Email-com.cz@ibm.gov.in

02. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिट्ल कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छतिसगढ- Email dgm.cg@gov.in

> वरिष्ठ सहायक खान नियत्रंक भारतीय खान ब्यूरो